

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्रमांक

मुं नं 62/15 तारीख 23.7.15 फर्द अहकाम


उगवान - अन्नपिंडबनाम विनोदसिंह

दावा बाबत घोषणा खोतदारी एवं ल्यायी निषेधाज्ञा

दादी की ओर से श्री रामभरोसी सुधा अण. मे  
 दावा बाबत घोषणा खोतदारी एवं ल्यायी निषेधाज्ञा  
 पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का संवलेक्षण किया  
 गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को  
 अरिथे सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक  
 3.8.15 को पेश हो।

1729-36

23-7-15

  
 उप जिला कलक्टर  
 टोडाभीम (कपेली)

3.8.15 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं. 1 से 6 की रात्रिल  
 मां के द्वारा हो चुकी है। न. 8 की रात्रिल हो चुकी है।  
 प्रतिवादी नं. 1 व 4 की ओर से सीमा वर्मा अण. मे वसूलत  
 आग पेश किया। तथा प्रार्थना पत्र इस आशय का  
 पेश किया कि प्रतिवादी नं. 4 ज्यादा पट्टी लिखी गयी  
 है। स्पष्ट प्रामाणिक विधवा महिला है। तहसील का  
 मुन्शी मेरे धर नोटिस देने गया। तब मे अकेली  
 थी, नोटिस को देख कर मे धबरा गयी। प्रतिवादी  
 नं. 6 की शादी हो चुकी है वरु मेरी पुत्री है। प्रतिवादी  
 2, 3, 5 से हमारा कम बोलचाल है। प्रतिवादी 2, 3, 5  
 को मेरी ओर से नोटिस नही लिया समझा जाय।  
 न. 8 का चुनाव कार्य में व्यस्त है। आइन्दा दिनांक  
 24.9.15 को पेश हो।